[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

टिहरी जेल में श्री देव सुमन ने 84 दिन का अनशन किया था और उनका स्वर्गवास वहां हुआ था। वहां के राजा को प्रिवीपर्स दिया गया लेकिन उनकी जेल में मरने वाले श्री सुमन के परिवार की जो आज हालत है, वह शायद किसी को ज्ञात नहीं है। मैडम कामा, खुदी राम बोस आदि कई और सेनानी हैं जिनके स्मारक बनाने की आवश्यकता है। उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए यह चीज होनी चाहिये। इनके अलावा....

12.42 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. SITTING OF THE HOUSE ON SATURDAY, DECEMBER 18, 1971.

MR. SPEAKER: Tomorrow, most of us are here. What if we sit tomorrow for two or three hours? If we sit for a few hours tomorrow also, we can have more time for discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: So I must say in advance that we shall be meeting tomorrow. What time shall we meet?

SHRI R. V. SWAMINATHAN (Madurai): We can meet between 2 and 4 p.m.

MR. SPEAKER: So, we shall be sitting tomorrow to avail of the time from 2 p.m to 4 p.m.

As for the business, the hon Minister has already announced the business, and the Order Paper will be circulated.

12.43 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL—*Contd.*

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर हम न केवल आदर भाव दिखायें, उचित एलाउंस उनको दें बल्कि जितने भी हमारे नेशनल फैस्टिवल होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि इन अवसरों पर जिला स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर विशेष अतिथि भी उनको हम बनायें, वी आई पीज की तरह हम उनको आमंत्रित करें और वह ट्रीटमेंट उनको दें।

उनके जो आश्रित हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वे बहुत बुरी दशा में हैं। उनको नाममात्र की पैंशन प्रान्तीय सरकारें देती हैं। वे भी कभी कभी देती हैं। और कभी कभी नहीं देती हैं। चार छः महीने या साल दो साल बाद नहीं देती हैं। उनको उचित मात्रा में और रेग्युलरली और समय पर पैंशन मिलती रहनी चाहिये।

मैडिकल फैसिलिटीज भी उनको मिलनी चाहिये। बच्चों की शिक्षा की सुविधा होनी चाहिये। उनको वही सुविधाएं मिलनी चाहिये जो कि विधायकों को अथवा संसद सदस्यों को आज प्राप्त है। ये बहुत छोटी बातें हैं और बहुत कम धनराशि की इनके लिए आवश्यकता है। किन्तु ऐसा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर सकेंगे।

हम सिल्वर जुबली मनायेंगे तो यह सब स्वतन्त्रता सेनानियों, उनकी सेवाओं, उनके त्याग और तपस्या के प्रति हमारी कृतज्ञता का सूचक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि सरकार कोई दूसरा बिल अगले सत्र में प्रस्तुत करने वाली है तो मेरी श्री जिब्बन लाल सक्सेना से प्रार्थना होगी कि वह अपने बिल को वापिस ले लें।

श्री रामसहाय पांडे (राजनदगांव) : इस विधेयक का मैं बड़े आदर के साथ समर्थन करता हूं।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : आप भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आप आसन ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इतनी देर बैठा रहा हूं। मैं रहा हूं, इसीलिए मैंने पहले समय इसके लिए बढ़ाया है।

12.46 hrs.

[SHRI N.K.P. SALVE *in the Chair*]

श्री राम सहाय पांडे : जब हम शहीदों का, सत्याग्रहियों का, जेल यातियों का जिन्होंने लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, पांड़ों की टाप से रौंद गये, उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति आदर भाव और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हैं तो बहुत महत्व इस बात का नहीं होता

है कि उनको कितना पैसा दिया जाय। यद्यपि पैसा देना भी बड़ा आवश्यक है लेकिन इसको हम सबको अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना होगा कि हमने उनके लिए क्या किया है। 14–15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हम आजाद हुए थे और तब कंस्टिटुइंट असेम्बली बैठी थी लेकिन उसके पहले वह टोली शहीदों की जो जेल गई थी, जिन्होंने जेल यात्रा की थी, लाठियां, गोलियां आदि खाई थीं, संकटों में पड़े थे, क्या उनको हम भूल जायेंगे ? नहीं भूल सकते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, अनुगृहित होने के भाव प्रकट करते हैं तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिये कि एक स्मारक राष्ट्र प्रेमियों का जिन्होंने आहुति दी है, शहीद हुए, जो मारे गए, फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, बनाया जाए, उनकी कोई चित्रावली, कोई ग्रन्थ प्रकाशित किया जाए ताकि आने वाली संततियाँ उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके। यह भी हमने किया। एक शहीद का नाम लेकर मैं दूसरे शहीद का अनादर करूंगा। इस वास्ते मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए, बापू के आवाह्न पर, तिलक के आवाह्न पर देश के हजारों लोग घरों के बाहर निकल आए थे यह गीत गाते हुए, सिर बांध कफ़न चली शहीदों की टोलियां। किसी कवि ने यह भी कहा, "शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।" मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं ऐसे मेले लगते हैं। श्री वाजपेयी ने अभी सिलेक्ट कमेटी बनाने की बात कही है। पता नहीं, मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर कुछ पैसा देने की बात कही जाती है तो कहा जाता कि वित्त मंत्री से पूछेंगे। शहीदों के सम्मान के नाम पर जो कुछ भी हम चाहते हैं, वह उनके पास नहीं है, वह कुछ नहीं दे सकते हैं। उनकी कोशिश है कि यह बिल इस सदन में परास्त हो जाये, या लेप्स हो जाये। श्री शिब्बनलाल सक्सेना, जिन्होंने यह विधेयक सदन के सामने रखा है, एक बहुत पुराने फ्रीडम फाइटर हैं। वह अपने लिये कुछ नहीं चाहते हैं। डा० गोविन्द दास ने भी, जो राष्ट्र के श्रद्धेय हैं, अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। इन विचारों की पृष्ठभूमि में भावना और श्रद्धा है, जिससे प्रेरित होकर स्वयं ही कुछ करने और देने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इन लोगों को कुछ पैसा देने और उनके निवास और बच्चों की शिक्षा आदि के प्रश्न सामने आते हैं।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उनको सम्मान देने हैं। न जानें हमारे देश में कितने शहिदों की विधवायें, बहनें और छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या कभी कोई यह खोज की गई है कि वे लोग आज किस स्थिति में रह रहे हैं, किस टूटी-फूटी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उसमें चिराग़ जल रहा है या गुल है, उनको भोजन मिलता है या नहीं ?

इस सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्द "सहायता" एक बड़ा घिसा-पिटा शब्द है। आखिर सहायता, मदद, क्या होती है ? अगर शहीदों के संदर्भ में डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द हो, तो उसको निकाल देना चाहिए। यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पास जायें, उनको प्रणाम करें और हाथ जोड़कर पूछें कि हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, बजाये इसके कि वे आकर यह आवेदन पत्र दें कि हम उस परिवार से सम्बन्धित हैं, जिसके सदस्य जेल में गये थे, फांसी पर चढ़े थे या घोड़ों की टापों के शिकार हुए थे।

हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्र को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए हमको अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिये, क्योंकि वे हमारे लिये प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके त्याग, बलिदान और कुर्बानी की नींव पर इस सर्वभौम सत्ता का निर्माण हुआ है, जिसकी छत्रछाया में हम सब लोग बैठे हुए हैं। अगर बापू का आह्वान न होता, अगर तिलक का यह ज्ञान न होता कि "स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है", अगर ये शहीद न होते, अगर हमारे स्वतन्त्रता-सेनानी जेल में न जाते सत्याग्रह न करते, फांसी पर न चढ़ते, क्रान्ति के माध्यम से आजादी की अलख न जगाते तो आज हमारा देश इस स्थिति में न होता। लेकिन आज हम उन लोगों को भूल गये हैं। लेकिन उनको भूल जाना उचित नहीं है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह सरकार के किसी वरिष्ठ नेता, या प्रधान मंत्री, से पूछ लें कि क्या सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विधेयक आने वाला है। तब श्री शिब्बन लाल सक्सेना से यह प्रार्थना की जा सकती है कि वह अपना विधेयक वापिस लें ले। मुझे चिन्ता इस बात की है कि अगर वह बिल इस सदन में पराजित हो गया, पास नहीं हुआ, तो यह बड़े दुख और कलंक की बात होगी और यह इस सदन की मर्यादा, गरिमा के विरुद्ध होगा कि शहीदों को कुछ सहायता–सहायता नहीं, सहयोग–देने के लिए, उनके सामने कुछ पत्र पुष्प अर्पित करने के लिए माननीय सदस्य जो कि विधेयक लाये, वह पास नहीं हो सका।

[श्री राम सहाय पाण्डे]

शहीदों के नाम पर मानुमेंट या स्मारक बनाने की बात ठीक है। लेकिन उनके मानुमेंट और स्मारक हैं उनके छोटे छोटे बच्चे और उनकी अकिंचन स्थिति। अगर उनसे हमको कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई, कोई श्रद्धा और करुणा की भावना पैदा नहीं हुई, तो फिर मानुमेंट देखकर हम क्या करेंगे ? आज उनके जीवन बुझे-बुझे और थके-थके हैं। जिन लोगों ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान किया है, अपनी पुरातन और सनातन परम्परा के अनुसार हमें उनके पास जाना चाहिए और आदर से पूछना चाहिये कि हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं।

उन लोगों के जीवन, विचारों और कृत्यों, उनके त्याग और तपस्या और देश को स्वतन्त्रता दिलाने में उनके योगदान और प्रेरणा का वर्णन करने के लिए ग्रन्थ, संग्रह और चित्रावली तैयार की जानी चाहिये। सहायता की बात छोड़ दीजिए, उनको सहयोग देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनकी देखभाल होना चाहिए। वे लोग मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे, लेकिन आज हम संसद-सदस्य या मंत्री बन कर उनको भूल गये हैं। हम लोग गणतंत्र के दायित्व के निर्वाह में लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की बदौलत इस गणतंत्र का जन्म हुआ है, उनको हम भूल गये है, यह कलंक और लांछन हम लोगों पर नहीं लगना चाहिए।

अगर मंत्री महोदय कोई विधेयक लाने या व्यवस्था करने का आश्वासन दें, तो माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की प्रार्थना की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में आश्वासन दें, ताकि इस सदन को संतोष हो सके और हम सही मायनों में अपने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

MR. CHAIRMAN: We have only two minutes left. Do you want to make some statement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I wanted to clarify only one point.

MR. CHAIRMAN: After your clarification I shall call Mr. Mirdha.

SHRI F. H. MOHSIN: I wanted to clarify one point made by Mr Pandey. We agree that we have got to do something in the case of freedom fighters; there is no doubt about it. Government have already decided to do something for freedom fighters. It need not necessarily be in the form of a Bill....(*Interruptions*). It may be in the form of a scheme. It is under the consideration of the Government. Since many persons are making this point, I wanted to clarify that the matter is under the consideration of the Government.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur): We have long heard these platitudes. There is no concete scheme before the Government and we want a concrete scheme.

SHRI R.V. SWAMINATHAN (Madurai)-Let the Minister take the whole day. Let him consult the Cabinet Ministers and come out with definite proposals tomorrow.

MR. CHAIRMAN: The hon.Minister has briefly stated what he had to say in the matter. The sentiments of the House have already been expressed. The House will now adjourn to reassemble at 2 p.m. tomorrow.

13.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on Saturday, December 18, 1971/Agrahayana 27, 1893 (Saka)

MGIPRRD—Sec. Ist.—17LSS 71—1311